FORM III

फर्द अहकाम

(नियम – 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, मुकाम नीमकाथाना (राज.)

यादराम बनाम किशोर सिंह वगै0

किस्म मुकदमा दावा बाबत विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा मु0नं0 156 सन् 2025 जीसीएमएस नं2025/284

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
07-05-2025	रिपोर्ट सरिस्ता होकर पत्रावली पेश हुई। वादी की ओर से श्री रामगोपाल शर्मा एड. उपस्थित। दावा दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रतिवादीगण की तलबी जरिये सम्मन की जाकर पत्रावली दिनांक 04.06.2025 को पेश हो।	

राजवीर सिंह यादव
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

04/6/25 पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। प्रतिवादीगण की तामील सम्यक रूप से होना पायी गयी। बावजूद सम्यक तामील अनुपस्थित। अतः प्रतिवादीगण के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती हैं। प्रकरण में प्राथमिक डिक्री पर वकील वादी की एकपक्षीय बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने प्रकरण में प्राथमिक डिक्री जारी करने का निवेदन किया।

पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया गया एवं वकील वादी के निवेदन पर सगौर मनन किया गया। चूंकि प्रकरण तकास्मा का हैं। वादग्रस्त आराजी के वादी एवं प्रतिवादीगण संयुक्त खातेदार हैं। प्रतिवादीगण बावजूद सम्यक तामील हाजिर अदालत नही आये जिससे प्रतिवादीगण की वादी के वादपत्र पर मौन स्वीकृति जाहिर होती हैं। तथा प्रतिवादी सं0 6 प्रकरण में Formal पक्षकार हैं। अतः वकील वादी का निवेदन स्वीकार किया जाने योग्य पाया जाने पर न्यायहित में स्वीकार किया जाकर प्रकरण में प्राथमिक डिक्री इस आशय की जारी की जाती हैं कि:–

आदेश

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajveer Singh Yadav

Date: 2025.08.28 12:30:55 IST

Reason: SelfAttested

तहसीलदार नीमकाथाना तन ग्राम च[illegible]रा[illegible] पटवार हल्का मंढोली तहसील नीमकाथाना अ[illegible] वादग्रस्त आराजी ख0 नं0 322 / 169, 325 / 170 कुल किता 02 कुल रकबा 1.01 है0 में विवादीत पक्षकारान को सूचित कर उनकी उपस्थिति में स्वयं मौका–निरिक्षण कर निम्न शर्तो को ध्यान में रखते हुये विस्तृत विभाजन प्रस्ताव तैयार करें:–

1. यदि पक्षकारान ने आपस में बाहमी बंटवारा कर अपने–अपने हिस्से पर काबिज काश्त चले आ रहे

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज
	हैं तो मौका एवं रिकार्ड के अनुसार प्रस्ताव तैयार कर भिजवावें।

2. पक्षकारान की आपसी सहमति से बंटवारा के प्रस्ताव तैयार कर भिजवावें।
3. यदि उपरोक्त बिन्दु सं. 1 व 2 के अनुसार पक्षकारान के बीच बंटवारा किया जाना सम्भव नहीं हैं तो ''बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स'' के सिद्वान्त पर पृथक्–पृथक् लगान कायम करते हुए मीन बट्टा नम्बर डालकर नक्शा ट्रेस में लाल सूर्ख स्याही से तरमीम कर विस्तृत विभाजन प्रस्ताव राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम के नियम– 18 से 21 के अनुसार राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के पत्रांक राम/न्याय/स्था/ प–51/2008/विविध/10546 दिनांक 05.10.2020 में प्रदत्त दिशा–निर्देशानुसार तैयार करवाकर प्रकरण में नियत आगामी तारीख पेशी दिनांक 28.07.2025 से पूर्व भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

तहसीलदार नीमकाथाना को उपरोक्तानुसार विस्तृत विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु तहरीर जारी हो तथा तदनुसार प्राथमिक डिक्री पर्चा जारी हो। वास्ते प्राप्त होने विस्तृत विभाजन प्रस्ताव मिसल दिनांक 28.07.2025 को पेश हो।

(राजवीर सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना

(राजवीर सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (राज.)

28/7/25

पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपस्थित।
P.O साहब दीगर कार्य मे व्यस्थ है।
पत्रावली पुर्व आदेशानुसार दिनांक 6/8/25
को पेश हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2025.08.28 12:30:55 IST
Reason: SelfAttested

Gems-2025/284

हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज **न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना** **उनवानी यादराम बनाम किशोर सिंह आदि मु.सं. 156/2025**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप0। तहसीलदार नीमकाथाना से प्रकरण में प्राथमिक डिक्री की पालना में विभाजन प्रस्ताव पूर्व में प्राप्त हुआ जो अभिलेख पर लिया जाता हैं। विभाजन प्रस्ताव पर बहस वकील वादी सुनी गयी। दौराने बहस वकील वादी ने तहसीलदार नीमकाथाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर सहमति देते हुए मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री फरमाने का निवेदन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड एवं तहसीलदार नीमकाथाना से प्राथमिक डिक्री की पालना में प्राप्त विस्तृत विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया गया एवं बहस वकील वादी पर सगौर मनन किया गया। चूंकि वकील वादी तहसीलदार नीमकाथाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव से सहमत हैं। अतः वाद वादी न्यायहित में स्वीकार किया जाकर मुताबिक विस्तृत विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जाता हैं। विस्तृत विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री का भाग रहेगा। मुताबिक विस्तृत विभाजन प्रस्ताव राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो तथा तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। यह निर्णय आज दिनांक 06.08.2025 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय मुद्रा से खुले न्यायालय में सुनाया गया। (राजवीर सिंह यादव) उपखण्ड अधिकारी, नीमकाथाना (राजवीर सिंह यादव) उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना (राज.)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2025.08.28 12:30:55 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत **उपखण्ड अधिकारी** मुकाम नीमकाथाना (सीकर)
बइजलास **राजवीर सिंह यादव R.A.S.**

1. यादराम पुत्र बालूराम जाति अहीर (यादव) निवासी नीमकाथाना जिला सीकर राज.।

–वादी

बनाम

1. किशोर सिंह पुत्र श्री बहादुर मल जाति जाट निवासी कोटडा रोड़ नीमकाथाना जिला सीकर राज. वगैरह

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नं. 156 सन् 2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू **राजवीर सिंह यादव आर.ए.एस** व हाजिरी **श्री रामगोपाल शर्मा एडवोकेट** मिनजानिब मुद्दई रूबरू .... मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि **वाद वादी मुताबिक विस्तृत विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जाता हैं। विस्तृत विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री का भाग रहेगा। मुताबिक विस्तृत विभाजन प्रस्ताव राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो।**
.निज......................मुबलिग..बाबत..खर्चा इस मुकदमें के मय सूद बशरह.........फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ......का अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख **06** माह **08** सन् **2025** को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना

मुहर

दस्तखत..............
ओहदा..............

(राजवीर सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (राज.)

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान			स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प अर्जी महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान		

खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2025.08.28 12:30:55 IST
Reason: SelfAttested